



मध्यप्रदेश विधानसभा के पावस सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।

राजमार्ग (संशोधन) और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस विधेयक पारित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मध्य प्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 और मध्य प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2026 भी पारित हो गए हैं। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर तीखी बहस हुई। बाद में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित होने के बाद मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि आज जबलपुर से भोपाल का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनाना है तो 15 हजार करोड़ की आवश्यकता है। ये पैसा कहाँ से आएगा, क्या जनता पर टैक्स बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे भी तो कितना बढ़ाएंगे? इसीलिए यही तरीका सोचा गया कि जो लोग सुविधा का उपयोग करते हैं और जितने समय के लिए करते हैं, केवल उतने समय उनसे ये शुल्क लिया जाए। इस शुल्क का उपयोग सड़कों के रखरखाव और निर्माण में किया जाएगा।

हम 1851 का आदेश समाप्त कर प्रदेश का कानून बना रहे हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिससे किसी भी परियोजना के पूरा होने में लगने वाला अधिकतम समय स्पष्ट हो जाएगा। परियोजना के पूरे होने की टाइम लिमिट तय हो जाएगी। उसे बार-बार टाला नहीं

अंतर्राज्यीय पक्षी तस्कर गिरोह की नौवीं आरोपी महिला गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) की इंदौर इकाई ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बर्ड ट्रेड गिरोह की नौवीं आरोपी सविताबेन को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद निवासी सविताबेन पिछले तीन वर्षों से फरार चल रही थी। उसे 20 जुलाई को इंदौर से गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

प्रारंभिक पृष्ठताल में आरोपी ने स्वीकार किया कि गिरोह मध्यप्रदेश से संरक्षित प्रजाति के तोतों का अवैध परिवहन कर गुजरात के विभिन्न शहरों में ऊंचे दामों पर बेचता था। इससे पहले

इसी मामले में गिरोह के आठवें आरोपी आशीष को भी 20 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

एसटीएसएफ ने मई 2023 में वन्यजीवों के अवैध व्यापार में संलिप्त इस संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया था। कार्रवाई के दौरान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित 35 प्लम-हेडेड पैराकीट और 16 रोज-रिंग पैराकीट बरामद किए गए थे। इस संबंध में 20 मई 2023 को वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया था। अब तक इस मामले में गिरोह के सभी नौ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार वन्यजीव तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण विधेयक भी पारित

विधानसभा में मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) 2026 विधेयक भी पारित हो गया। इससे पहले श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 24 घंटे सातों दिन दुकानें खुली रह सकती हैं, बशर्ते हर 8 घंटे बाद ड्यूटी बदल दी जाए। कोई व्यक्ति चाहे तो सप्ताह में 4 दिन 48 घंटे की ड्यूटी कर सकता है और तीन दिन दूसरे काम भी कर सकता है। श्री पटेल ने कहा कि अब गिंग वर्कर्स को भी श्रम संहिता में जोड़ दिया गया है। महिला सुरक्षा की गारंटी देने के लिए कार्यस्थल पर सौरीटीवी कैमरे लगाएंगे। श्रम न्यायालय तब तक काम करेंगे, जब तक श्रम विभाग में ट्रिब्यूनल नहीं बन जाएगा। इस संहिता में भारत सरकार के सभी नियमों का भी प्रावधान किया गया है ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

जा सकेगा।

फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त फायर स्टेशन नहीं हैं और फायर कर्मियों की भी भारी कमी है। उन्होंने सरकार से पूछा कि वर्तमान में प्रदेश में कितने फायर स्टेशन संचालित हो रहे हैं और पिछले पांच वर्षों में कितने नए फायर स्टेशन खोले गए हैं। उन्होंने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रार्थमिकता के आधार पर नए फायर स्टेशन स्थापित किए जाएं।

इस पर नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नए कानून से जनहानि और धनहानि दोनों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण फायर सेफ्टी व्यवस्था को आधुनिक बनाने की आवश्यकता थी। कई बार इमारतों या चलती गाड़ियों में आग लगने जैसी घटनाएं होती हैं, इसलिए फायर सेफ्टी से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया गया है।

विजयवर्गीय ने कहा कि कई राज्यों के फायर सेफ्टी कानूनों का अध्ययन करने के

बाद यह विधेयक तैयार किया गया है और उनका दावा है कि यह देश के सर्वश्रेष्ठ फायर सेफ्टी कानूनों में शामिल होगा। पूरे प्रदेश की मैपिंग कर यह तय किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में नए फायर स्टेशन खोले जाने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। साथ ही आधुनिक फायर मशीनें और उपकरण भी खरीदे जाएंगे।

उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने में लगभग छह माह लगेंगे। इसके तहत हर वर्ष थर्ड पार्टी निरीक्षण अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था 24 घंटे और सातों दिन कार्य करेगी। मंत्रालय स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में पूरा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाएगा। फायर सेफ्टी टीम बाढ़ और अन्य आपदाओं में भी राहत एवं बचाव कार्य करेगी।

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और एनओसी जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी विसंगतियों को दूर किया गया है। यदि किसी आग की घटना में संबंधित भवन में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं

अग्निशमन कर्मों की वेशभूषा में पहुंचे अभिलाष



जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय अग्निशमन कर्मों की वेशभूषा में विधानसभा पहुंचे। उन्होंने प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा कानून लागू जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आभार व्यक्त किया तथा लोगों से अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की। डॉ. पाण्डेय ने कहा कि उन्होंने 25 फरवरी 2026 को विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश में अग्नि सुरक्षा कानून लागू करने की आवश्यकता का विषय उठाया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए इसे लागू करने की दिशा में पहल की है।

डॉ. महेन्द्र ने प्रचार रथों को दिखाई हरी झंडी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने मंगलवार को दतिया स्थित पार्टी के चुनाव कार्यालय से विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रचार रथों के माध्यम से सरकार के विकास कार्यों, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर-घर और गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के बीच जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से रखें तथा पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तथा मुख्यमंत्री डॉ.



मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। डबल इंजन की सरकार विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने

की दिशा में कार्य कर रही है। डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को उनके परिश्रम, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा के आधार पर

अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सामान्य कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी को विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर संपर्क कर कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाने तथा पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान को मजबूत करने का आग्रह किया। दतिया प्रवास के दौरान उन्होंने ग्राम सलैया पंचार और ग्राम पठारी में जनसंवाद कार्यक्रमों को संबोधित किया। इसके साथ ही जिला कार्यालय में सरपंचों और पार्षदों की बैठक में शामिल हुए तथा नगर में जनसंपर्क और सामाजिक संवाद कार्यक्रम में भी भाग लेकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन की अपील की।

महिलाओं और बेटियों को समाज में सुरक्षा और बराबरी का अधिकार दिलाएगा विधेयक: खण्डेलवाल

नप्र, भोपाल : मप्र विस में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री खंडेलवाल ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने यूसीसी लागू कर एक नया अध्याय जोड़ा है। उनके अनुसार, इस कानून से सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं तथा बेटियों को समान अधिकार एवं कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और समान अधिकार की भावना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के समान नागरिक अधिकारों के दृष्टिकोण के अनुरूप बताते हुए कहा कि विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद राज्य में समान कानूनी व्यवस्था लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।



• वजह ढूंढते सहयोगी...

पिछले दिनों अचानक एक बड़े साहब, जो किसी दूसरे विभाग में लंबे समय से मस्ती काट रहे थे, उनका इस्तीफा अचानक क्यों हुआ, यह चर्चा का विषय है। साहब द्वारा पिछले दिनों एक बड़ी खरीददारी की गई थी, जिसके मामले में भी कई आरोप लगे थे। अचानक बिना किसी आरोप-प्रत्यारोप के साहब का इस्तीफा अंदरखाने की कहानी कुछ और ही कहता नजर आ रहा है।

• करें कोई, भरे कोई...

प्रदेश के मुखिया का एक जिले का दौरा किसी और की गलती और किसी दूसरे को सजा मिलने जैसा प्रतीत हो रहा है। दरअसल, पिछले दिनों महाकौशल क्षेत्र के एक कार्यक्रम में बड़े साहब ने जानकारी के हिसाब से सभी को कार्यक्रम की सूचना दी। कितने लोगों को मंच पर स्थान और सम्मान मिलेगा, इसकी सूची बनवाने और उसका पालन करवाने वाले तो सुरक्षित हैं, लेकिन ड्यूटी पर तैनात साहब के सिर सारी गड़बड़ी का ठीकरा पड़ोड़ा जा रहा है। साहब अब सफाई देते घूम रहे हैं।



मंत्रालय की गुप्तगु...
• डॉ. शिथिर उपाध्याय

• भरोसे लायक यहां कोई नहीं...

लंबे समय से मंत्रालय में एक ही विभाग में पदस्थ एक बड़े साहब को अपने एक छोटे, भरोसेमंद राजदार पर किया गया भरोसा अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। साहब के प्रदेश छोड़ते ही भरोसेमंद साहब ने यू-टर्न लेते हुए उनके राज, उनके ही सहयोगियों को बताना शुरू कर दिया है। चर्चाएं संपत्ति या आर्थिक निवेश तक होतीं तो भी ठीक था, लेकिन भरोसेमंद साहब ने तो सभी वैध-अवैध दस्तावेजों की फाइलें भी अपने पास रख ली हैं। यदि ये फाइलें बड़े साहब के विरोधियों के हाथ लग गईं, तो लेने के देने पड़ सकते हैं।

• इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मेन्यू की चर्चा...



पिछले दिनों एक बड़े इवेंट में विभाग के आला अधिकारियों एवं अतिथियों के स्वागत का जिम्मा सभालने वाली आयोजन टीम को देश की राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा भोजन में रखे गए अलग-अलग व्यंजनों की चर्चा करते देखा गया। देशभर से आए उद्योगपति मध्यप्रदेश में कितना निवेश करेंगे, इसकी बजाय मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिए गए स्वागत और भोजन से ज्यादा प्रभावित दिखाई दिए।



• साहब की नजर बड़े जिले पर...

लगभग दो वर्षों से एक ही जिले में पदस्थ एक साहब की नजर अब एक बड़े जिले पर है। वे लगातार अपने बेहतर काम को उच्च स्तर तक पहुंचाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। साहब जहां जाना चाहते हैं, उस जिले के कुछ माननीयों से उनकी मुलाकात भी लगातार हो रही है। अब देखना यह है कि उनकी मुराद कब पूरी होती है।



• तंज तो किया, लेकिन नंबर बड़े नहीं...

पूरे देश में 'एक पेड़ मां के नाम' लगाने का अभियान तेजी से चल रहा है। पिछले दिनों मालवा क्षेत्र के एक जिले में प्रदेश के मुखिया दौरा पर थे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। जिले के एक बड़े साहब ने अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में पहले और अब के वृक्षारोपण की तुलना करते हुए वर्तमान अभियान को बेहतर बताया। मुखिया जी भी अपने कार्य की सफलता और बेहतरी सुनकर मुस्कराते हुए आगे बढ़ गए। अब साहब के नंबर बड़े या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

बड़वानी की लाल मिर्च को दिलाएंगे जीआई टैग: डॉ. मोहन यादव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बड़वानी अपनी मेहनत, आधुनिक खेती और नवाचार के दम पर देश में कृषि, उद्यमिता और नवाचार का नया उदाहरण बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़वानी को प्रसिद्ध लाल मिर्च को जीआई टैग दिलाने के लिए प्रयासरत है, जिससे इसे वैश्विक पहचान मिलेगी और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़वानी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने किसानों, विशेषकर युवाओं से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने, एग्री-स्टार्टअप शुरू करने तथा कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर खेती



को लाभकारी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हर कदम पर साथ खड़ी है। बड़वानी के मिर्च उत्पादक अब वैज्ञानिक खेती, आधुनिक ग्रैडिंग और बेहतर पैकेजिंग अपनाकर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी

पहचान बना रहे हैं। डॉ. यादव ने कहा कि बड़वानी कपास, केला और मिर्च उत्पादन के लिए देशभर में पहचान बना चुका है। जिले के किसान हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों से कपास उत्पादन बढ़ा रहे हैं।

पोषण आहार मामले में अपर मुख्य सचिव को लोकायुक्त के समक्ष होना होगा उपस्थित

▶ **जांच में भेजे गए स्मरण पत्रों पर नहीं मिला अपेक्षित जवाब**
▶ **अभिलेखों में सामने आया विरोधाभास**

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: महिला एवं बाल विकास तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े टेक होम राशन और पोषण आहार मामले की जांच तेज हो गई है। लोकायुक्त संगठन ने इस प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच आगे बढ़ाते हुए पूर्व मुख्य सचिव इकलवाल सिंह बैस, तत्कालीन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ललित मोहन बेलवाल सहित अन्य अधिकारियों से जुड़े तथ्यों की पड़ताल शुरू कर दी है। विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए उत्तर और लोकायुक्त के अभिलेखों में दर्ज तथ्यों के बीच सामने आए विरोधाभास के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया है।

लोकायुक्त संगठन की ओर से कई बार सूचना और स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव दीपाती रस्तोगी अब तक कार्यालयीन व्यस्तता का हवाला देकर उपस्थित नहीं हुईं। विधानसभा में सरकार ने भी अपने लिखित उत्तर में स्वीकार किया है कि व्यस्तता के कारण वह लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकीं। इसके बाद लोकायुक्त ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों और निंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षण रिपोर्ट में भी महत्वपूर्ण अंतर सामने आया है। लोकायुक्त ने 23 जून को जारी आदेश में 24 अगस्त 2026 को व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश दिए थे, जबकि विधानसभा में मंत्री प्रहलाद पटेल के लिखित उत्तर में 31 अगस्त की तिथि दर्ज की गई। दोनों अभिलेखों में दर्ज अलग-अलग तिथियों को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।